(164)

समक्ष सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

प्र.क्र. = /2015 रिव्यू 863-III-15

राजमल पुत्र स्व. घासीराम पटेल आयु 60 वर्ष जाति खाती, निवासी ग्राम कोठरी, तहसील-आष्टा, जिला सीहोर - - - - - - - - - - - - - -आवेदक

विरुद्ध

1-गजराजसिंह पुत्र मुन्नालाल आयु 50 साल
2-धरमसिंह पुत्र मुन्नालाल आयु 46 साल
3-मिश्रीबाई विधवा मुन्नालाल आयु 80 साल
4-रेशमबाई पुत्री मुन्नालाल आयु 50 साल
5-गोकलबाई पुत्री मुन्नालाल आयु 52 साल
6-कमलाबाई पुत्री मुन्नालाल आयु 48 साल
7-लीलाबाई पुत्री मुन्नालाल आयु 44 साल
8-रेखाबाई पुत्री मुन्नालाल आयु 42 साल
सभी निवासी ग्राम कोठरी तहसील आष्टा जिला सीहोर (म.प्र.)
9-जैनपाल पुत्र हजारीलाल खाती आयु 55 साल निवासी झावर, हाल निवासी मण्डी सीहोर तहसील व जिला सीहोर म.प्र.
10-ताराचन्द पुत्र प्रेमसिंह आयु 60 साल
11-जीवनसिंह पुत्र विजयसिंह आयु 27 साल
12-जितेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह आयु 24 साल
13-बसन्ताबाई पुत्री विजयसिंह आयु 20 साल
14-सम्पतबाई पुत्री विजयसिंह आयु वयस्क
15-चिन्ताबाई पुत्री विजयसिंह वयस्क
16-सुलोचनाबाई पुत्री विजयसिंह वयस्क
17-सुनीताबाई पुत्री विजयसिंह वयस्क
18-मोरसिंह पुत्र हीरालाल आयु 45 साल
19-लाडसिंह पुत्र नाना आयु 45 साल
20-लक्ष्मन पुत्र नाना आयु 40 साल

::2::

21–सम्पतबाई विधवा नाना आयु 70 साल (मृत)
22–लीलाबाई पुत्री नाना वयस्क
23–धन्नूबाई पुत्री नाना वयस्क
24–अबन्तीबाई पुत्री नाना वयस्क
25–बल्देव पुत्र हीरा आयु 45 साल
26–रामप्रसाद पुत्र बल्देव आयु 50 साल
27–मांगीलाल पुत्र रामचरण आयु 40 साल
28–गजराजसिंह पुत्र रामचरण आयु 35 साल
29–नारायण पुत्र अनोखीलाल आयु 50 साल
क्र. 10 से 29 निवासी ग्राम कोठरी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म. प्र.)
30–लक्ष्मीनारायण पुत्र चैनसिंह आयु 50 साल
निवासी ग्राम धामनखेड़ा तहसील जिला सीहोर----------अनावेदकगण

पुनराविलोकन आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा–51 म. प्र. भू. रा. सं. 59 वास्ते माननीय महोदय के प्र. क्र. निगरानी/284–दो/2014 पारित आदेश दिनांक 16/मार्च/2015–राजमल वि0गजराजसिंह व अन्य 29

महोदय,

आवेदक ने माननीय महोदय के समक्ष आयुक्त महोदय भोपाल–संभाग भोपाल द्वारा प्र. क्र. 227/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26/11/2013 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. के तहत निगरानी प्रस्तुत कर चुनौती दिये जाने पर प्रकरण के रेस्पांडेंट क्र. 1 से 8 एंव आवेदक (निगरानीकर्ता) को विधिवत सुनवाई का एंव पक्ष समर्थन का अवसर देकर दिनांक 16/मार्च/2015 को आदेश पारित कर पंजीकृत निगरानी का निराकरण किया है। तदानुसार आदेश दिनांक 16/मार्च/2015 के चरण क्र0 5 में अभि–निर्धारित अभिमत को रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकाश में प्रथम दृष्टया परिलक्षित त्रुटि (भूल), सुधार हेतु निम्नांकित पुनराविलोकन आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 51 म. प्र. भू. रा. सं. 1959 निर्दिष्ट समयावधि में , निर्दिष्ट न्याय शुल्क संलग्न कर निम्नांकितविधिक आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 863–तीन/15 जिला –सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-8.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 गुरोदिया उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 284–दो/2014 में पारित आदेश दिनांक 16.3.15 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 863–तीन/15 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 284–दो/2014 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 16.3.15 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण क्रमांक 863–तीन/15 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।	

ब–अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य